

7/23

पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपास्थित, अप्रार्थीगण के सम्मन के बाद तामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाक प. किये गये। अप्रार्थीगण को कितनी बार रूक रूक कर आवाजें दिलायी जाने के बाद भी उपास्थित नहीं हुए, इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है। वकील प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर नियमि पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फंसल शुमार होकर नंबर से कम हो।


 उपखण्ड अधिकारी
 मांडल जिला भीलवाड़ा



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, माण्डल जिला भीलवाड़ा (राज0)

न्यायाधीश- नारायण लाल जीनगर (आर0ए0एस0)

01/23 प्रा0पत्र

फर दत्तकपुत्र बालु जाट निवासी-जोरावरपुरा तहसील-गण्ड

-प्रार्थी

तनाम

शीपाय 510 सौतनखाल जाट निवासी-जोरावरपुरा तहसील-गण्डल (वर्ग 4)
(सुदोफित प्रा0पत्र-राज0)

-विपक्षीयण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा. अधि. 1956

दिनांक :- 07-02-23

::आदेश::

को ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन कि ग्राम जोरावरपुरा पटवार हल्का जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके संयुक्त खाते को आरजी नं 481, 482, 487 कुल कित्ता 03 रकबा 1.0244 पर स्थित है। जादग्रस्त भूमि का विभागीयण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा बिन्दु नहीं होने से आये सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होना रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पालनी के आदेश प्रदान कराये जायें।

प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 06-01-23 को पजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को विचारने से यह बात सिद्ध है कि जादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का प्रयत्न है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते न्यायाधीश की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य हैं।

::आदेश::

को ल. प्रार्थना पत्र धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम जोरावरपुरा पटवार जोरावरपुरा तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आरजी नं 481, 482, 487 कुल कित्ता 03 रकबा 1.0244 हेक्टर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी देने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश किया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख नंबर खागौर को 500/- रुपये/- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पत्थरगढी की जायें। फसल खेती होने पर पत्थरगढी नहीं की जायें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

नियम- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख हैं कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालनी रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा